

3

11

49

प्रारूप "ख"

देखिय नियम 8 (2) और (3)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक: रूपा0/2008/1049

दिनांक:- 11/9/2006

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमती सावित्री बाई फुले मेमोरियल संस्थान, जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारों अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 1992) के नियम 8 (2)/ 8 (3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/प्रति के नाम सहित पूरा पता।	श्रीमती सावित्री बाई फुले मेमोरियल संस्थान, कार्यालय न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	-
3. संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा- (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मी. में)	ग्राम बगवाड़ा ग्राम पंचायत बगवाड़ा तहसील आमेर खसरा नं0 1394 रकबा 0.20 हेक्टर खसरा नं0 1396 रकबा 0.05 हेक्टर खसरा नं0 1394 रकबा 0.20 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर एवं 1396 में से 0.05 हेक्टर कुल 0.21 हेक्टर अर्थात् 2100 वर्गमीटर (ग्रामीण सड़क के मध्य से 40 मीटर छोड़ कर।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान (व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	16/-
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	घा. सं0 486 दि. 26.8.06 राशि 16800/- घा. सं0 487 दि. 26.8.06 राशि 16800/- कुल रूपये 33,600/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	निल

साचिव

श्रीमती सावित्री बाई फुले

अधिकारी

अधिकारी